

भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर -813210

का० आ० सं०/ भागलपुर

दिनांक/मई, २०२२

कार्यालय आदेश

विभागीय पत्रांक वि० प्रा० (vi) विविध (रा०पो०परीक्षा)-०५/२०२२ / १५०६ पटना,
दिनांक ३०.०५.२०२२ (प्रति संलग्न) के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं० - ६४८ दिनांक २८.०५.
२०२२ को रद्द करते हुये दिनांक ०१.०६.२०२२ से ३०.०६.२०२२ तक संस्थान के शिक्षकों एवं
छात्र/छात्राओं हेतु वर्ष २०२२ के लिए घोषित ग्रीष्मावकाश को रद्द किया जाता है।

ह०/-


प्राचार्य

भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय
भागलपुर

ज्ञापांक ६५६/ भागलपुर


दिनांक ३१/ मई, २०२२

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष / सभी सम्बन्धित प्राध्यापक / प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल, भागलपुर
अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर।


31/05/22

प्राचार्य

भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय,
भागलपुर


31/05/22

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्रांक :- वि.प्रा. (VI) विविध (रा.पो.परीक्षा)-05/2022 1506
प्रेषक,

पटना, दिनांक - 30/5/22

वैभव चौधरी, (आई.ए.एस.)
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, बिहार।

विषय : विभागीय पत्रांक -3300 दिनांक 30/12/2021 द्वारा निर्गत विभागान्तर्गत सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं हेतु वर्ष 2022 के लिए घोषित ग्रीष्मावकाश रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य प्रावैधिकी शिक्षा परषद, बिहार एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के विभिन्न सेमेस्टर्स की परीक्षा का कार्यक्रम माह जून 2022 में निर्धारित है। परीक्षा के कार्य सुचारु रूप से संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, ससमय परीक्षाफल प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में विभागीय पत्रांक -3300 दिनांक 30/12/2021 द्वारा निर्गत अवकाश तालिका क्रम संख्या-19 में घोषित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01/06/2022 से 30/06/2022 तक विभागान्तर्गत सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं हेतु वर्ष 2022 के लिए घोषित ग्रीष्मावकाश को रद्द किया जाता है।

शिक्षकों के अवकाश अवधि के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1189 दिनांक 29/04/2010 के अनुसार नियमानुकूल कुल कार्य दिवस का 1/3 दिन उपार्जित अवकाश अनुमान्य होगा। सभी प्राचार्य अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञानसमाज

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग